

कार्यालय आदेश सं. 106/17...

वमयाई/समाडि का पत्र सं या/समाडि/अनु. दिनांक 22.06.2017 के आलोक मे श्री विनय कुमार पुत्र श्री फुलेना प्रसाद कैरेज खलासी/छपरा वेतनमान (5200-20200+1800 ग्रेड पे) को दीर्घ आरोप पत्र सं या/150/CPR/33ए/सीडीओ दिनांक 19.04.2012 के क्रम मे जारी NIP No. या/150/छपरा/पूउरे/सीडीओ दिनांक 20.06.2013 द्वारा रेल सेवा से निष्कासित करने का आदेश दिया गया। कर्मचारी की अपील पर विचार करते हुए पुनः रेल सेवा मे वापस लेने हेतु मरेप्र/वारा महोदय ने आदेशित किया है। तथा वेतनमान (5200-20200+1800 ग्रेड पे) मे न्यूनतम वेतन पर संचयी प्रभाव से पाँच वर्षों के लिए रखे जाने का दण्ड दिया गया है एवं रिमूवल तिथि से रेल सेवा मे लेने की अवधी को डाइज नॉन माना गया है।

अतः उक्त के आलोक मे श्री विनय कुमार/कैरेज खलासी/छपरा वेतनमान (5200-20200+1800 ग्रेड पे) को पुनः रेल सेवा मे बहाली लेते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतन आदि का लाभ देय होगा। इनका वेतन/कार्यस्थल निम्नवत निर्धारित किया जाता है

क्रम सं	कर्मचारी का नाम	निर्धारित वेतन (6 <sup>th</sup> cpc के तहत)	निर्धारित वेतन (7 <sup>th</sup> cpc के तहत)	पदस्थापित कार्यस्थल
01.	श्री विनय कुमार पुत्र फुलेना प्रसाद 05750324	5200+1800 =7000 वेतनमान (5200-20200)+1800 ग्रेड पे)	18000/- वेतनमान (5200-20200+1800 ग्रेड पे) मे तीन वर्षों तक संचयी प्रभाव से दि.12.07.2017 से दि.11.07.2022) तक प्रभावी	सीसेई/समाडि छपरा

उपरोक्त पर वमयाई/समाडि की सहमति एवं मरेप्र/वारा. महोदय का आदेश/अनुमोदन प्राप्त है।

(सहायक कार्मिक अधिकारी/1)

कृते मंडल रेल प्रबंधक(का)

वाराणसी

दिनांक : 12.07.2017

सं. का/या/पीसी/जयराम प्रसाद

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

9. वमयाई (समाडि)/ वाराणसी ।
10. वमविप्र/वाराणसी ।
11. मुख्य कार्याधी यॉत्रिक बिल ।
12. डी.ला./वाराणसी
13. संबंधित कर्मचारी ।
14. कार्यालय आदेश पुस्तिका ।
15. मंडल मंत्री नरमू, अजा/अजजा एवं ओबीसी/ एसोसि. वाराणसी ।
16. अन्य प्रति ।

(सहायक कार्मिक अधिकारी/1)

कृते मंडल रेल प्रबंधक(का)

वाराणसी